भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1512
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी किसानों के लिए अवसंरचना का विकास

1512. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कई डेयरी इकाइयों के समक्ष बिजली की कमी की समस्या के समाधान हेतु सौर ऊर्जा चालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए, प्रौद्योगिकी की मदद से परिष्कृत पशुपालन तकनीकें दूध उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकती हैं और इनकी आजीविका में सुधार ला सकती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा छोटे किसानों द्वारा इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाए जाने के लिए उन्हें आसानी से पूंजी देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने में राज्य के प्रयासों को संपूरित करने के लिए दो प्रमुख अवसंरचना विकास योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) कार्यान्वित कर रहा है।
NPDD के अंतर्गत दूध की खरीद, प्रसंस्करण और शीतलन सुविधाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है और ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों को बल्क मिल्क कूलर (BMC) के लिए सहायता दी जाती है। जिसमें सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों (SPV) और थर्मल भंडारण प्रणालियों का प्रयोग करके संचालित किए जाने वाले बीएमसी शामिल हैं। 52 सौर ऊर्जा चालित बीएमसी संस्वीकृत किए गए हैं।
एएचआईडीएफ के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों, शीतलन अवसंरचना, मूल्यवर्धित डेयरी इकाइयों और नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता प्रणालियों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिससे डेयरी सहकारी समितियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और निजी उद्यमियों को अवसंरचना को उन्नत करने और बिजली एवं प्रसंस्करण संबंधी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। तीन दुग्ध संघों, बरौनी (बिहार), बनासकांठा (गुजरात) और एर्नाकुलम (केरल) को सौर ऊर्जा चालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) छोटे और सीमांत किसानों के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, डीएएचडी, भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो आनुवंशिक उन्नयन और वैज्ञानिक गोपशु पालन प्रथाओं का समर्थन करता है। आरजीएम योजना की प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

I. **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम:** 9.36 करोड़ पशुओं को कवर किया गया, 14.56 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए, 5.62 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।
II. **सेक्स सॉर्टेड सीमन:** 128 लाख खुराकों का उत्पादन; देशी तकनीक के माध्यम से लागत 800 रुपये से घटाकर 250 रुपये प्रति खुराक हुई; 40 लाख खुराक क्षमता सृजित की गई और 150 लाख खुराक क्षमता की स्थापना की जा रही है।
III. **त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम:** सुनिश्चित गर्भधारण पर सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन।
IV. **ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री):** 39,810 प्रशिक्षित तकनीशियन द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
V. **आईवीएफ तकनीक:** 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित**;** प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि।
VI. **संतति परीक्षण और वंशावली चयन:** 4,288 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड तैयार किये और सीमन केंद्रों को आपूर्ति की गई।
VII. **सीमन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण:** 47 केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं।
VIII. **किसान जागरूकता:** देश भर में प्रजनन शिविर**,** बछड़ा रैलियाँ**,** प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

उपरोक्त पहलें आधुनिक प्रजनन तकनीकों तक पहुंच को बढ़ाती हैं**,** उत्पादकता में सुधार करती हैं**,** तथा छोटे और सीमांत डेयरी किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करती हैं।

*****